कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल

क्रमांक 2529/432/आउशि/अनु–ब/18 दिनांक 14 /12/2018

प्रति,

1. **समस्त प्राचार्य/शिक्षाधिकारी,**
   शासकीय अग्रणी महाविद्यालय,
   मध्यप्रदेश।
2. **समस्त प्राचार्य,**
   अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय,
   मध्यप्रदेश।

विषय– **पांचवें वेतनमान में दिनांक 01.4.2000 से 31.3.2002 तक का शेष 20% एवं 01.04.2002 से 31.12.2005 तक का शेष 50% अनुदान आवंटन हेतु गणना पत्र उपलब्ध कराने बाबत्।**

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 244/190/अनु–ब/18 दिनांक 26.11.2016 तथा 06.12.18 11.12.18

—00—

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्रों द्वारा सर्वोच्य प्राथमिकता के आधार पर **03 दिवस में विशेष वाहक के हस्ते** निर्धारित प्रपत्रों में चाही गई जानकारी आपसे आज दिनांक तक अप्राप्त है।

कतिपय महाविद्यालयों द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से जानकारियां प्रेषित की जा रही हैं, जो कि मान्य योग्य न होने से मूलतः वापस करना पड़ रही हैं। अतः निम्नांकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो :–

1. संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा विषयांकित ऐरियर राशि के प्रस्ताव के साथ ऐरियर राशि का भुगतान नहीं किये जाने संबंधी **प्रमाण–पत्र प्रेषित नहीं किया जा रहा है।**
2. प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महावि. अपने जिले की एकजाई जानकारी प्रेषित करें। प्रत्येक महावि. की पृथक–पृथक जानकारी प्रेषित/अग्रेषित नहीं करें।
3. जानकारी मात्र निर्धारित प्रपत्रों में चाही गई हैं, उसके साथ अनावश्यक रूप से व्यक्तिवार गणना पत्रक संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त **निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए** विषयांकित जानकारी **03 दिवस में विशेष वाहक के हस्ते** निर्धारित प्रपत्रों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित हो। अन्यथा यह माना जावेगा कि शेष महाविद्यालयों में ऐरियर राशि का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

14/12/18

(डॉ. सुषमा दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 2530/432/आउशि/अनु–ब/18 दिनांक 14/12/2018

प्रतिलिपि :–

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र. की ओर **तत्काल पालनार्थ**।

14/12/18

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश